

उद्योग संचालनालय, मध्यप्रदेश
(स्वरोजगार योजना कक्ष)

क्रमांक: 3/स्वरो/(1)5(3-ब)/2017/ 775-1881
प्रति,

भोपाल, दिनांक 13/02/2019


1. कलेक्टर (समस्त)
मध्यप्रदेश
2. महाप्रबंधक(समस्त)
जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र,
मध्यप्रदेश

विषय:- मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना एवं मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना के नवीन दिशा-निर्देश।

संदर्भ:- उद्योग संचालनालय का पत्र क्रमांक क्रमांक: 3/स्वरो/(1)5(3-ब)/2017/ 2836-2941, दिनांक 27.4.2017

जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र के माध्यम से संचालित मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना एवं मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना के क्रियान्वयन के संबंध में निम्नानुसार निर्णय लिया जाता है:-


योजनान्तर्गत इस आदेश के जारी दिनांक से सभी प्रकार के वाहन जैसे- बस, मिनी बस, कार, टेक्सी कार, तिपहिया वाहन, ट्रैक्टर, ट्रक (Freight वाहन) गुड्स केरियर वाहन, मशीन/इक्यूपमेंट वाहन (जे.सी.बी., पोकलेन, हार्वेस्टर) इत्यादि को स्वरोजगार योजनाओं में ऋण प्राप्त करने के लिए संदर्भित आदेश दिनांक 27.4.2017 में लगाये गये प्रतिबंध से मुक्त किया जाता है।


उद्योग आयुक्त
मध्यप्रदेश

क्रमांक: 3/स्वरो/(1)5(3-ब)/2017/ 1882-1951
प्रतिलिपि-

भोपाल, दिनांक 13/02/2019

1. आयुक्त, संस्थागत वित्त, विंध्याचल भवन, भोपाल।
2. उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग, मंत्रालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
3. समन्वयक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, अरेरा हिल्स, भोपाल की ओर भेजकर अनुरोध है कि समस्त बैंकों को सूचित करने का कष्ट करें।
4. समस्त शाखा प्रबंधक, नोडल बैंक- भारतीय स्टेट बैंक, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इलाहाबाद बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बडौदा एवं देना बैंक भोपाल की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. संयुक्त संचालक उद्योग (समस्त) परिक्षेत्रीय उद्योग कार्यालय, म.प्र. की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. समस्त प्रबंधक, जिला अग्रणी बैंक, मध्यप्रदेश की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।


उप संचालक,
कृते उद्योग आयुक्त, म.प्र.